प्रकार से दुरस्ती करने से किसी भी पक्षकार से खातेदारी अधिकारों पर कोई विपरीत असर नहीं हो रहा है, क्योंकि खसरा सं. 422/239 के खातेदार का हिस्सा 09 बीघा 15 विस्वा ही शुरू से रहा और उतने ही रकबे की खातेदारी उनकी रही, बाबत् लिखित संस्वीकृति भी है। दुसरी तरफ खसरा सं. 424/239 के खातेदारों के नाम 09 बीघा 05 विस्वा भूमि तो दर्ज है, किन्तु उतनी भूमि सड़क के उत्तरी तरफ एक जगह पर नहीं होकर कुछ भाग यानि 02 बीघा 07 विस्वा भूमि सड़क के दक्षिणी तरफ है, उक्त तथ्य की पुष्टि मौके पर हल्का पटवारी व भू-निरीक्षक आसोतरा के तैयार की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 28.03.2017 एवं उसके संलग्न नक्शा से ही स्पष्ट है। मौके पर खसरा सं. 422/239 के खातेदार का 09 बीघा 15 विस्वा भूमि कब्जा पूर्ण होने के बाद बेसी जमीन की प्रस्तावित तरमीम दुरस्ती करने की अनुशंषा की है, और यह भी कथन किया हैं, कि संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम की जाती हैं तो रेकर्ड व मौका का सही मिलान होगा । इस प्रकार उक्त मूल खसरें के तरमीमी बने खसरान की खतौनी व नक्शे में जो त्रुटि हुई है, वो एक लिपीकिय त्रुटि है, जिसको दुरस्त धारा 131, 136 आर.एल.आर. अधिनियम के तहत की जा सकती है, और ऐसी त्रुटि की दुरस्ती करने से किसी भी पक्ष के खातेदारी हक, हित या अधिकार या कब्जे में कोई विपरीत असर या कमी नहीं हो रही है, और न ही किसी पक्ष को हको का सृजन हो रहा है और न किसी के हकों में कमी ही आ रही है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सरहद मौजा होटलू पटवार क्षेत्र बिठुजा में अवस्थित रहे मूल खसरा सं. 239 जिसके वर्तमान नये तरमीमी खसरा सं. 424/239, जिसका रकबा जमाबंदी खतौनी अनुसार 09 बीघा 05 विस्वा है, किन्तु मौके अनुसार 06 बीघा 18 विस्वा है, कि तरमीम दुरस्त करने के साथ ही खसरा सं. 423/239 गैर मुमकिन सडक मौके पर जिस जगह अवस्थित है, के स्थान पर तथा खसरा सं. 422/239 खतौनी अनुसार रकबा 09 बीघा 15 विस्वा है, किन्तु लट्ठा ट्रेस अनुसार 12 बीघा 02 विस्वा है, कि दुरस्ती करने का आदेश दिया जाता है, और उक्त खसरों की दुरस्ती मौका फर्द दिनांक 28.03.2017 के संलग्न नक्शा अनुसार की जावे, खसरा सं. 424/239 का रकबा 06 बीघा 18 विस्वा सडक के उत्तरी तरफ और शेष रकबा यानि 02 बीघा 07 विस्वा सडक के दक्षिणी तरफ नया तरमीमी खसरा बना कर दर्ज किया जाकर रेकर्ड जमाबंदी व नक्शा लट्ठा ट्रेस में दुरस्ती कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें । साथ ही यह भी स्पष्ट किया जा रहा है, कि खसरा सं. 423/239 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा में कोई कमी नहीं की जावे, मात्र नक्शे में जिस जगह सड़क मौके पर बनी है, उसी अनुसार तरमीम दुरस्त की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज तारीख 25-10-2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भगीरथराम)
भू-अभिलेख अधिकारी (S.D.O.),
सहायक कलेक्टर
बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

जानकारी नहीं, मौके की पैमाईश कर रिपोर्ट पेश की जाने पर ही स्थिति आ सकती है। विप्रार्थीगण सद्‌भाविक क्रेता है, विप्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा वक्त खरीद से है, उनके खातेदारी की भूमि में पत्थरगढ़ी चारदीवारी बनायी गयी है, प्रार्थीगण की भूमि राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर सड़क मार्क के बदिशा उत्तर में अवस्थित होने की स्पष्ट संस्वीकृति रही है, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण कथन करने से विबंधित है। प्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक भूमि हड़प करना चाहता है, प्रार्थीगण ने तरमीम दुरस्ती हेतु विप्रार्थीगण से कभी सम्पर्क नहीं किया, विप्रार्थी सं. 01 ता 09 ने अपनी भूमि के सीमांकन के चिन्ह लगे हुए हैं, और मौके पर बिना किसी रोक–टोक के कब्जा है, प्रार्थीगण ने सही तथ्यों को छिपाया है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । विप्रार्थीगण सं. 10 की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि, तरमीम नियमानुसार की जावे, यह राजस्व प्रकरण है।

प्रकरण में जवाब प्रस्तुत होने के बाद मूल खसरे की भूमि के बारे में मौके की एवं रेकर्ड जमाबंदी, नक्शा लट्‌टा ट्रेस की रिपोर्ट भूमिधारक से जरिये तहरीर तलब की गई, जो न्यायालय में दिनांक 13.04.2017 को प्राप्त हुई, माफिक मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार मौके पर दोनो पक्षों को बुलाया गया, प्रार्थीगण के प्रतिनिधी महेन्द्रकुमार संत एवं विप्रार्थी के प्रतिनिधी भरत कुमार अग्रवाल मौके पर उपस्थित आये, उनके रूबरू रेकर्ड एवं मौके की जांच की गई, जिसके अनुसार खसरा सं. 424/239 रकबा जमाबंदी अनुसार 09 बीघा 05 विस्वा है, मौके अनुसार 6 बीघा 18 विस्वा है, कमी 2 बीघा 07 विस्वा की है, इसी प्रकार खसरा सं. 423/239 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा मौके अनुसार 2 बीघा 13 विस्वा, खसरा सं. 422/239 रकबा जमाबंदी अनुसार 2 बीघा 15 विस्वा रकबा मौके अनुसार 12 बीघा 02 विस्वा बेसी रकबा 02 बीघा 07 विस्वा, उपरोक्त अनुसार बालोतरा समदड़ी रोड़ लट्‌टा ट्रेस के अनुसार मौके पर नहीं बन कर (होकर) खसरा सं. 423/239 के भाग पर बनी हुई है, जिसका रकबा 02 बीघा 04 विस्वा होता है, मौके अनुसार रेकर्ड में बालोतरा–समदड़ी रोड़ की तरमीम की जाती है, तो खसरा सं. 224/239 का रकबा 06 बीघा 18 विस्वा ही बनेगा, जो कि रेकर्ड में 2 बीघा 7 विस्वा कम होगा तथा खसरा सं. 422/239 का रकबा 12 बीघा 02 विस्वा जो कि रेकर्ड अनुसार 02 बीघा 07 विस्वा अधिक होता है, खसरा सं. 423/239 की तरमीम मौका अनुसार की जाने पर खसरा सं. 424/239 की (मौका अनुसार) कमी रकबा 2 बीघा 07 विस्वा खसरा नं. 422/239 का मौका अनुसार रकबा 12 बीघा 02 विस्वा में से 02 बीघा 07 विस्वा बेसी रकबा की कमी की जाकर संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम की जाती है तो रेकर्ड व मौका का सही मिलान होगा।

उक्त रिपोर्ट पेश होने पर विप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 5, की ओर से लिखित एतराज पेश किया कि, विप्रार्थीगण 09 बीघा 15 विस्वा भूमि पर कब्जा प्राप्त किया है, विप्रार्थीगण के पास प्रार्थीगण की भूमि नहीं है, पैमाईश नहीं की गई है, प्रार्थीगण की भूमि की पैमाईश कर के जो तरमीम नक्शा मार्क किया है, जो हम विप्रार्थीगण को स्वीकार नहीं है, हम विप्रार्थीगण के कब्जे में 09 बीघा 15 विस्वा भूमि है ।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुना, पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया ।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया कि मौजा होटलू में कृषि भूमि खसरा सं. 239 कुल रकबा 21 बीघा 13 विस्वा का अवस्थित रहा है, उक्त भूमि में से बालोतरा–समदड़ी मुख्य सड़क की भूमि काटी गयी और मौके पर उक्त सड़क का निर्माण किया गया, नक्शे में उसी अनुसार तरमीम नहीं होने की वजह से खातेदारी के मूल खसरे में से तरमीमी बने खसरा जिसका रकबा 9 बीघा 5 विस्वा जमाबंदी अनुसार रखा गया, मौके पर 9 बीघा 5 विस्वा नहीं होकर 6 बीघा 18 विस्वा ही रहा, और सड़क के दूसरी तरफ खसरा सं. 422/239 जिसका रकबा 9 बीघा 15 विस्वा खतौनी अनुसार है, मौके पर उससे अधिक यानि 12 बीघा 02 विस्वा है। इस प्रकार तरमीम गलत होने की वजह से उक्त लिपिकीय त्रुटि हुई है, जिसकी दुरस्ती करना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है, इस

....3...

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खसरान विप्रार्थीगण ने जरिये रजिस्ट्री भूमि खरीद की, हम विप्रार्थीगण खसरा सं. 422/239 रकबा 09 बीघा 15 विस्वा रेकर्ड अनुसार मौके पर काबिज है, मौके पर 14 बीघा भूमि होने की जानकारी नहीं, मौके की पैमाईश कर रिपोर्ट पेश की जाने पर ही स्थिति आ सकती है। विप्रार्थीगण सद्भाविक क्रेता है, विप्रार्थीगण का निरन्तर कब्जा वक्त खरीद से है, उनके खातेदारी की भूमि में पत्थरगढ़ी चारदीवारी बनायी गयी है, प्रार्थीगण की भूमि राजस्व अभिलेख, नक्शा ट्रेस अनुसार मौके पर सड़क मार्क के बदिशा उत्तर में अवस्थित होने की स्पष्ट संस्वीकृति रही है, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण कथन करने से विबंधित है। प्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक भूमि हड़प करना चाहता है, प्रार्थीगण ने तरमीम दुरस्ती हेतु विप्रार्थीगण से कभी सम्पर्क नहीं किया, विप्रार्थी सं. 01 ता 09 ने अपनी भूमि के सीमांकन के चिन्ह लगे हुए हैं, और मौके पर बिना किसी रोक–टोक के कब्जा है, प्रार्थीगण ने सही तथ्यों को छिपाया है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । विप्रार्थीगण सं. 10 की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि, तरमीम नियमानुसार की जावे, यह राजस्व प्रकरण है।

प्रकरण में जवाब प्रस्तुत होने के बाद मूल खसरे की भूमि के बारे में मौके की एवं रेकर्ड जमाबंदी, नक्शा लट्टा ट्रेस की रिपोर्ट भूमिधारक से जरिये तहरीर तलब की गई, जो न्यायालय में दिनांक 13.04.2017 को प्राप्त हुई, माफिक मौका फर्द रिपोर्ट अनुसार मौके पर दोनो पक्षों को बुलाया गया, प्रार्थीगण के प्रतिनिधी महेन्द्रकुमार संत एवं विप्रार्थी के प्रतिनिधी भरत कुमार अग्रवाल मौके पर उपस्थित आये, उनके रूबरू रेकर्ड एवं मौके की जांच की गई, जिसके अनुसार खसरा सं. 424/239 रकबा जमाबंदी अनुसार 09 बीघा 05 विस्वा है, मौके अनुसार 6 बीघा 18 विस्वा है, कमी 2 बीघा 07 विस्वा की है, इसी प्रकार खसरा सं. 423/239 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा मौके अनुसार 2 बीघा 13 विस्वा, खसरा सं. 422/239 रकबा जमाबंदी अनुसार 2 बीघा 15 विस्वा रकबा मौके अनुसार 12 बीघा 02 विस्वा बेसी रकबा 02 बीघा 07 विस्वा, उपरोक्त अनुसार बालोतरा समदड़ी रोड़ लट्टा ट्रेस के अनुसार मौके पर नहीं बन कर (होकर) खसरा सं. 423/239 के भाग पर बनी हुई है, जिसका रकबा 02 बीघा 04 विस्वा होता है, मौके अनुसार रेकर्ड में बालोतरा–समदड़ी रोड़ की तरमीम की जाती है, तो खसरा सं. 224/239 का रकबा 06 बीघा 18 विस्वा ही बनेगा, जो कि रेकर्ड में 2 बीघा 7 विस्वा कम होगा तथा खसरा सं. 422/239 का रकबा 12 बीघा 02 विस्वा जो कि रेकर्ड अनुसार 02 बीघा 07 विस्वा अधिक होता है, खसरा सं. 423/239 की तरमीम मौका अनुसार की जाने पर खसरा सं. 424/239 की (मौका अनुसार) कमी रकबा 2 बीघा 07 विस्वा खसरा नं. 422/239 का मौका अनुसार रकबा 12 बीघा 02 विस्वा में से 02 बीघा 07 विस्वा बेसी रकबा की कमी की जाकर संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम की जाती है तो रेकर्ड व मौका का सही मिलान होगा।

उक्त रिपोर्ट पेश होने पर विप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 5, की ओर से लिखित एतराज पेश किया कि, विप्रार्थीगण 09 बीघा 15 विस्वा भूमि पर कब्जा प्राप्त किया है, विप्रार्थीगण के पास प्रार्थीगण की भूमि नहीं है, पैमाईश नहीं की गई है, प्रार्थीगण की भूमि की पैमाईश कर के जो तरमीम नक्शा मार्क किया है, जो हम विप्रार्थीगण को स्वीकार नहीं है, हम विप्रार्थीगण के कब्जे में 09 बीघा 15 विस्वा भूमि है ।

हमने दोनों पक्षों की बहस सुना, पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया ।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया कि मौजा होटलू में कृषि भूमि खसरा सं. 239 कुल रकबा 21 बीघा 13 विस्वा का अवस्थित रहा है, उक्त भूमि में से बालोतरा–समदड़ी मुख्य सड़क की भूमि काटी गयी और मौके पर उक्त सड़क का निर्माण किया गया, नक्शे में उसी अनुसार तरमीम नहीं होने की वजह से खातेदारी के मूल खसरे में से तरमीमी बने खसरा जिसका रकबा 9 बीघा 5 विस्वा जमाबंदी अनुसार रखा गया, मौके पर 9 बीघा 5 विस्वा नहीं होकर 6 बीघा 18 विस्वा ही रहा, और सड़क के दूसरी तरफ खसरा सं. 422/239 जिसका रकबा 9 बीघा 15 विस्वा खतौनी अनुसार है, मौके

प्रार्थीगण

1. सीतादेवी पत्नि भंवरलाल जाति संत
2. लीलावती पुत्री रामकिशोर जाति अग्रवाल
3. लक्ष्मी पत्नि किशनलाल जाति माली
4. नारायण प्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल अग्रवाल
5. पुष्पादेवी पत्नि पुरूषोतमदास पुत्रवधु जानकीप्रसाद अग्रवाल
6. बसंतीदेवी पत्नि रघुवीर प्रसाद अग्रवाल निवासियान बालोतरा
7. दशरथकुमार पुत्र वासुदेव माहेश्वरी बोरवाडा जिला जालोर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मोहनीदेवी पत्नि गंगाराम अग्रवाल
2. रेखा पत्नि कांतिलाल अग्रवाल
3. पुष्पादेवी पत्नि पुरूषोतमदास अग्रवाल
4. कुसुमदेवी पत्नि दिनेश कुमार अग्रवाल
5. शोभादेवी पत्नि हंसराज अग्रवाल
6. जवाहराराम पुत्र पेमाराम कलबी
7. राधादेवी पत्नि जवाहरराम कलबी
8. लूम्बाराम 9. राणाराम पुत्रान अमरराम कलबी
10. सहायक अभियन्ता पी.डब्लू.डी. बालोतरा
11. तहसीलदार पचपदरा

आदेश

दिनांक: 25-10-2017

उपस्थित –

1. श्री अचलाराम थोरी विद्धान अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से –
2. श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता विद्धान अधिवक्ता, विप्रार्थी की ओर से –
3. श्री नरपतसिंह भाटी विद्धान अधिवक्ता, विप्रार्थी की ओर से –

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रकरण इस आशय का पेश किया कि, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी के खातेदारी की भूमि खसरा सं. 239 रकबा 21 बीघा 13 विस्वा मौजा होटलू में अवस्थित रही है, तदोपरांत उक्त भूमि के रकबे में से बालोतरा से समदड़ी मुख्य सड़क तरमीम की गई ,इस वजह से उक्त खसरा की भूमि को 3 भागों में विभक्त किया गया, जिनके तरमीमी खसरा सं. 239, 239/1, 239/2 बनाये, जिसके वर्तमान खसरा सं. 422/239 रकबा 09 बीघा 15 विस्वा भूमि का बेचान विप्रार्थीगण एवं उनके हक पूर्वाधिकारी को किया तथा खसरा नं. 424/239 रकबा 09 बीघा 05 विस्वा भूमि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों को बेचान किया गया तथा खसरा सं. 423/239 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा गैरमुमकिन सड़क में दर्ज किया गया। प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि का रकबा 9 बीघा 05 विस्वा खतौनी में दर्ज है । भूमि खसरा सं. 239 में सहवन से जिस जगह बालोतरा से समदड़ी सड़क मौके पर बनायी गयी, उस जगह नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं कर सहवन से प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में तरमीम कर दी गई, जो मौके की स्थिति से भिन्न है, इस वजह से प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि का जो रकबा जमाबंदी में 09 बीघा 05 विस्वा दर्ज है, उतना रकबा मौके पर तरमीम नहीं है, दुसरी तरफ मूल खसरे के तरमीमी खसरा 422/239 जिसका रकबा जमाबंदी में 09 बीघा 15 विस्वा दर्ज है, सड़क भिन्न जगह बन जाने से 09 बीघा 15 विस्वा के स्थान पर 14 बीघा भूमि मौके पर है, इस कारण मौके पर हमेशा विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, नक्शा लट्टा ट्रेस का रकबा व जमाबंदी का रकबा दोनो एक दूसरे से मिलान होने जरूरी है, किन्तु वर्तमान प्रकरण में गलत तरमीम होने की वजह से ऐसा नहीं है। तरमीम दुरस्ती करवाने हेतु विप्रार्थी सं. 01 ता 09 को कोई बार मौखिक निवेदन किया, उसके बावजुद भी ऐसा नहीं किया, तब विप्रार्थीगण को लिखित नोटिस भी पंजीकृत डाक से दिया, फिर भी ऐसी दुरस्ती नही करवायी, और न प्रार्थीगण की बात पर कोई ध्यान ही दिया, उल्टा प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि पर अवैध व अनुचित तरीके से अकृषि कार्य करने हेतु उतारू हो गये । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर से लट्टा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को दुरस्त करने तथा खतौनी के रकबे के अनुसार मौके पर काबिज अनुसार दुरस्त करने के अनुतोष का प्रस्तुत किया जा रहा है।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया, विप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि, मूल खसरा सं. 239 अवस्थित रहा, बाबत आपत्ति नहीं और उक्त खसरे में से बालोतरा समदड़ी सड़क की भूमि काटी गयी और बाद तरमीमी

....2...

उपखण्ड कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

मामला प्रकरण सं. 154 / 2013

प्रार्थीगण

1. सीतादेवी पत्नि भंवरलाल जाति संत
2. लीलावती पुत्री रामकिशोर जाति अग्रवाल
3. लक्ष्मी पत्नि किशनलाल जाति माली
4. नारायण प्रसाद पुत्र रामेश्वरलाल अग्रवाल
5. पुष्पादेवी पत्नि पुरूषोतमदास पुत्रवधु जानकीप्रसाद अग्रवाल
6. बसंतीदेवी पत्नि रघुवीर प्रसाद अग्रवाल निवासियान बालोतरा
7. दशरथकुमार पुत्र वासुदेव माहेश्वरी बोरवाड़ा जिला जालोर

ब नाम

विप्रार्थीगण

1. मोहनीदेवी पत्नि गंगाराम अग्रवाल
2. रेखा पत्नि कांतिलाल अग्रवाल
3. पुष्पादेवी पत्नि पुरूषोतमदास अग्रवाल
4. कुसुमदेवी पत्नि दिनेश कुमार अग्रवाल
5. शोभादेवी पत्नि हंसराज अग्रवाल
6. जवाहराराम पुत्र पेमाराम कलबी
7. राधादेवी पत्नि जवाहराराम कलबी
8. लूम्बाराम 9. राणाराम पुत्रान अमराराम कलबी
10. सहायक अभियन्ता पी.डब्लू.डी. बालोतरा
11. तहसीलदार पचपदरा

दिनांक: 25-10-21

आदेश

उपस्थित –

1. श्री अचलाराम थोरी विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से –
2. श्री चन्द्रप्रकाश गुप्ता विद्वान अधिवक्ता, विप्रार्थी की ओर से –
3. श्री नरपतसिंह भाटी विद्वान अधिवक्ता, विप्रार्थी की ओर से –

प्रार्थी ने न्यायालय में वर्तमान प्रकरण इस आशय का पेश किया कि, प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारी के खातेदारी की भूमि खसरा सं. 239 रकबा 21 बीघा 13 विस्वा मौजा होटलू में अवस्थित रही है, तदोपरांत उक्त भूमि के रकबे में से बालोतरा से समदड़ी मुख्य सड़क तरमीम की गई ,इस वजह से उक्त खसरा की भूमि को 3 भागों में विभक्त किया गया, जिनके तरमीमी खसरा सं. 239, 239/1, 239/2 बनाये, जिसके वर्तमान खसरा सं. 422/239 रकबा 09 बीघा 15 विस्वा भूमि का बेचान विप्रार्थीगण एवं उनके हक पूर्वाधिकारी को किया तथा खसरा नं. 424/239 रकबा 09 बीघा 05 विस्वा भूमि प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियों को बेचान किया गया तथा खसरा सं. 423/239 रकबा 2 बीघा 13 विस्वा गैरमुमकिन सड़क में दर्ज किया गया। प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि का रकबा 9 बीघा 05 विस्वा खतौनी में दर्ज है । भूमि खसरा सं. 239 में सहवन से जिस जगह बालोतरा से समदड़ी सड़क मौके पर बनायी गयी, उस जगह नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं कर सहवन से प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में तरमीम कर दी गई, जो मौके की स्थिति से भिन्न है, इस वजह से प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि का जो रकबा जमाबंदी में 09 बीघा 05 विस्वा दर्ज है, उतना रकबा मौके पर तरमीम नहीं है, दुसरी तरफ मूल खसरे के तरमीमी खसरा 422/239 जिसका रकबा जमाबंदी में 09 बीघा 15 विस्वा दर्ज है, सड़क भिन्न जगह बन जाने से 09 बीघा 15 विस्वा के स्थान पर 14 बीघा भूमि मौके पर है, इस कारण मौके पर हमेंशा विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, नक्शा लट्ठा ट्रेस का रकबा व जमाबंदी का रकबा दोनो एक दूसरे से मिलान होने जरूरी है, किन्तु वर्तमान प्रकरण में गलत तरमीम होने की वजह से ऐसा नहीं है। तरमीम दुरस्ती करवाने हेतु विप्रार्थी सं. 01 ता 09 को कोई बार मौखिक निवेदन किया, उसके बावजुद भी ऐसा नहीं किया, तब विप्रार्थीगण को लिखित नोटिस भी पंजीकृत डाक से दिया, फिर भी ऐसी दुरस्ती नहीं करवायी, और न प्रार्थीगण की बात पर कोई ध्यान ही दिया, उल्टा प्रार्थीगण के हिस्से की कृषि भूमि पर अवैध व अनुचित तरीके से अकृषि कार्य करने हेतु उतारू हो गये । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर से लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को दुरस्त करने तथा खतौनी के रकबे के अनुसार मौके पर काबिज अनुसार दुरस्त करने के अनुतोष का प्रस्तुत किया जा रहा है।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया, विप्रार्थीगण